

झारखंड सरकार,

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

4/नि01-147/08-

ज्ञापांक:-4/वि.1-116/08-
सेवा में,

180 (311)

रांची, दिनांक- 3/10/08

कार्यपालक अभियंता

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, आदित्यपुर।

- विषय- गैर योजना बजट शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-05-आदित्यपुर जलापूर्ति योजना-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय मतदेय शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के द्वितीय चौमाही में खर्च हेतु निधि का आवंटन।
- आदेश-उपर्युक्त शीर्षान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू0 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार रुपये मात्र) खर्च के लिए राशि आवंटित की जाती है, जिसकी पूर्ति 2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-05- आदित्यपुर जलापूर्ति योजना-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन-07-अन्य व्यय-59 अन्य व्यय मतदेय शीर्ष अंतर्गत वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में उपबंधित एक मुश्त राशि से की जायेगी।
- 2- खर्च-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01- जल पूर्ति-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-05- आदित्यपुर जलापूर्ति योजना-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय मतदेय शीर्ष में भारतव्य है।
 - 3- आवंटित राशि विपत्र कोड-36 N 221501101050759 के अधीन विकलनीय है।
 - 4- महालेखाकार, झारखंड, रांची को इसकी सूचना दी जा रही है।
 - 5- खर्च आवंटित राशि के अन्दर ही सीमित रखें।
 - 6- वित्त विभाग के पत्रांक-2561, वि0(2) दिनांक-17.4.98 में निहित निदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे
 - 7- बिहार कोषागार संहिता के नियम-300 का सख्ती से पालन करेंगे।
 - 8- आवंटित राशि का व्यय आदित्यपुर जलापूर्ति योजनान्तर्गत शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन के क्य पर किया जायेगा।
 9. राशि का उपयोग मात्र चालू वित्तीय वर्ष के कार्यों पर किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में गत वर्षों के लम्बित विपत्रों का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाएगा। 3.00 लाख रू0 कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 783 दिनांक 14.7.2008 के आलोक में विमुक्त है।
 10. आवंटित राशि के कम में मासिक व्यय लेखा अगले माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
 11. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधीक्षण अभियंता के माध्यम से निर्धारित समय पर विभाग को उपलब्ध करावें।

(आर0 एस0 शर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-

180 (311)

रांची, दिनांक:- 3/10/08

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/संबंधित उपायुक्त/प्रमंडलीय आयुक्त/माननीय सदस्य विधान सभा/बजट सहायक (6 प्रतियों में) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ अग्रसारित।

(आर0 एस0 शर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव।

3/10